अनुस्मारक-II

फा.सं.08/02/2025-रा.भा.(सेवा)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय/ राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-II भवन, बी विंग, चौथा तल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 17-अक्तूबर, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राजभाषा विभाग के SPARROW पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) सृजन की प्रगति एवं आवश्यक निर्देश।

जैसा कि विदित है कि राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक **21 अगस्त, 2025** के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2024-25 से Central Secretariat Official Language Service (CSOLS) cadre के कार्मिकों हेतु SPARROW पोर्टल पर APAR सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी तथा CSOLS अधिकारियों/कर्मचारियों का अद्यतन डाटा SPARROW पोर्टल पर NIC द्वारा अपलोड एवं Mapping कर दिया गया था।

इस संदर्भ में, दिनांक **11 सितंबर, 2025** के अनुस्मारक द्वारा मंत्रालयों/विभागों को पुनः APAR सृजन एवं अधिकारियों द्वारा APAR भरने की प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने का अनुरोध किया गया था।

2. तथापि, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह पाया गया है कि **लगभग 715** अधिकारियों/कर्मचारियों में से अभी भी लगभग **250** कार्मिकों की workflow create/APAR सृजित (APAR generate) नहीं की गई है। अभी तक **534 APAR सृजित** की गई हैं, जिसमें से **154** APAR ORU के पास, **177** रिपोर्टिंग अधिकारी के खाते में तथा **99** APAR Reviewing अधिकारी के पास लंबित है, जबकि ORU की समय-सीमा को पहले ही बढ़ाया जा चुका है। इस विलंब के कारण संपूर्ण APAR प्रक्रिया की प्रगति प्रभावित हो रही है।।

साथ ही कई मंत्रालयों/विभागों से Custodian नामित नहीं किए गए हैं, जिससे APAR सृजन की समयबद्ध प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

3. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि चूंकि यह प्रणाली पहली बार लागू की जा रही थी, इसलिए व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ में Auto Forward विकल्प निष्क्रिय रखा गया था। तथापि, सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार **अब Auto Forward एवं Auto Close का विकल्प सक्रिय किया जा रहा है।** अतः सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा संबंधित अधिकारीगण (ORU/Reporting/Reviewing/Custodian) यह सुनिश्चित करें कि APAR निर्धारित समय-सीमा में सृजित, प्रेषित एवं पूर्ण हो जाए।यह **अंतिम अनुस्मारक है; Auto Cap लागू** होने के पश्चात आगे की कार्रवाई संभव नहीं होगी।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि राजभाषा विभाग, संवर्ग नियंत्रण अधिकारी (Cadre Controlling Authority) के रूप में कार्य करता है, जबकि APAR का सृजन, प्रेषण एवं प्रक्रिया संचालन संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा Custodian के माध्यम से ही किया जाना है, ठीक उसी प्रकार जैसे पारंपरिक (Physical) APAR प्रणाली में होता रहा है। APAR पूर्ण होने के पश्चात उसका अभिलेख राजभाषा विभाग (OL) द्वारा संवर्गीय रूप से संरक्षित किया जाएगा।

5. जिन मंत्रालयों/कार्यालयों से अभी तक PAR Custodian नामित नहीं किए गए हैं, वे कृपया तत्काल soservice-dol@gov.in पर अधिकारी का नाम, पदनाम, ईमेल की जानकारी उपलब्ध कराएँ ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25 का APAR चक्र निर्धारित समय में पूर्ण किया जा सके।

6. यह भी संज्ञान में आया है कि अनेक मामलों में PIMS (Personal Information Management System) में CSOLS अधिकारियों की सेवा प्रविष्टि गलत संवर्ग (CSS/CSSS/No Service अथवा स्थानीय कोड) के अंतर्गत दर्ज है, जिसके कारण CSOLS के कार्मिक अथवा Custodian पोर्टल खोल नहीं पा रहे या उनका डाटा नहीं मिल पा रहा है। जब तक PIMS में सही संवर्ग की प्रविष्टि नहीं होती, तब तक संबंधित अधिकारी का विवरण SPARROW पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होगा और Custodian उनके लिए APAR सृजित नहीं कर सकेगा।

7. अतः सभी अधिकारी अथवा उनके प्रशासनिक अनुभाग यह सुनिश्चित करें कि PIMS में सेवा प्रविष्टि सही रूप से CSOLS cadre में अद्यतन हो। यदि समस्या बनी रहती है, तो कृपया अपना **नाम, पदनाम, मंत्रालय/विभाग, ईमेल, संपर्क नंबर एवं त्रुटि का स्क्रीनशॉट** सहित **soservice-dol@gov.in** पर प्रेषित करें। NIC SPARROW टीम के सहयोग से समस्या का निराकरण किया जाएगा।

8. सभी CSOLS अधिकारीगण से अनुरोध है कि जिन अधिकारियों की APAR अभी भी generate नहीं हुई है, तो वे भी Sparrow Portal (**https://sparrow.rajbhasha.gov.in**) पर लॉगिन करके अपना खाता चेक करें कि वह open हो रहा है या नहीं। यदि वह नहीं खुल रहा है (user not found or not authorized दिख रहा है) तो हो सकता है आपकी सेवा प्रविष्टि अन्य संवर्ग में दर्ज हो, जिसे बदलना पड़ेगा क्योंकि उसे बदले बिना आपका custodian भी उसे Open/search नहीं कर पाएगा।

9. पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि राजभाषा SPARROW पोर्टल का लिंक अन्य संवर्गों (CSS/CSSS आदि) के पोर्टल से भिन्न है। अतः CSOLS अधिकारियों को केवल **https://sparrow.rajbhasha.gov.in** पर ही लॉगिन करना है एवं इसे संबंधित प्रशासन के संज्ञान में लाना आवश्यक है।

10. केवल अत्यंत अपवाद की स्थिति में, जैसे स्थानांतरण, पदोन्नति या तकनीकी त्रुटि के विशेष मामले, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेकर Physical APAR को SPARROW पोर्टल पर Manual Upload के माध्यम से जोड़ा जा सकेगा । यह व्यवस्था केवल अपवाद व सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात हो पाएगी। नियमित रूप से वर्तमान मे और आगे भी APAR इलेक्ट्रॉनिक ही भरे जाएंगे।

11. किसी भी तकनीकी कठिनाई की स्थिति में संबंधित विवरण के साथ soservice-dol@gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नक: यथोक्त(APAR प्रक्रिया की समय-सीमा)

सुनिता कुंभरे
17/X/25

(सुनिता एम. कुंभरे)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23438125

सेवा में,

1. अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना), संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय तथा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से।
2. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के राजभाषा अनुभाग के नियंत्रण अधिकारियों को राजभाषा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से।
3. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सभी अधिकरियों/कर्मचरियों को वेबसाइट के माध्यम से।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, एन.आई.सी। कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
5. गार्ड फ़ाइल।

अनुलग्नक-I

रिपोर्टिंग वर्ष 2024-25 के लिए CSOLS के अधिकारियों/कर्मचारियों की APAR प्रक्रिया के सृजन व रिपोर्टिंग की समय-सीमा

क्रम संख्या	कार्य	पूर्ण करने की अंतिम तिथि	Auto Forward
1	PAR Custodian द्वारा APAR फॉर्म का Workflow, Generation तथा संबंधित अधिकारियों को वितरण	20 सितंबर, 2025	-
2	CSOLS अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रिपोर्टिंग अधिकारी (Reporting Officer) को स्व-मूल्यांकन की प्रस्तुति	31 अक्तूबर, 2025	01 नवंबर, 2025
3	रिपोर्टिंग अधिकारी (Reporting Officer) द्वारा पुनरीक्षण अधिकारी (Reviewing Officer) को रिपोर्ट प्रेषण	18 नवंबर, 2025	19 नवंबर, 2025
4	पुनरीक्षण अधिकारी (Reviewing Officer) द्वारा समीक्षा पूर्ण कर स्वीकृति अधिकारी (Accepting Authority/सीआर Section) को अग्रेषण	02 दिसंबर, 2025	03 दिसंबर, 2025
5	स्वीकृति अधिकारी (Accepting Authority) द्वारा मूल्यांकन (जहाँ लागू हो)	12 दिसंबर, 2025	
6	संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट का प्रकटीकरण (Disclosure to the Officer Reported Upon)	20 दिसंबर, 2025	
7	प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आपत्ति दर्ज करना Submission of representation, if any, on APAR, by Officer Reported Upon	प्रकटीकरण की तिथि से 15 दिन के भीतर	
8	आपत्ति को सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करना Forwarding of representation to the Competent authority	प्राप्ति से 07 दिन के भीतर)	
9	आपत्ति पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय Communication of the decision of the Competent authority on the representation by the APAR Cell	प्राप्ति से 02 सप्ताह के भीतर	
10	निर्णय का APAR सेल को संप्रेषण	31 दिसंबर 2025	
11	अंतिम लॉकिंग और रिकॉर्ड में दर्ज करना End of entire APAR process, after which the APAR will be finally taken on record	01 जनवरी, 2026	Auto-Close